न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासिन अधिकारी श्री उदय भानू चारण आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 26 / 2015

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजकुमार पुत्र श्री मुरलीधर जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव शक्ति नगर गली नं0 4 महा मन्दिर जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

उपस्थित 1. श्री सत्यदेव सिंह,अधिवक्ता
2. सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांक :– 06-05.2015

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,कि सरहद मौजा राजेश्वर नगर पटवार क्षैत्र थोब के खसरा संख्या 993/385 रकबा 8.00 बीघा एवं ग्राम कानावास पटवार क्षैत्र कानाना के खेत खसरा सं0 15/7 रकबा 17.00 बीघा कृषि भूमि में आवागमन हेतु सरकारी भूमि ग्राम राजेश्वर नगर खसरा संख्या 386 में से डामर सड़क तक 30 फुट चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु घोषित करवाना चाहते है।
उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर इस कार्यालय के पत्रांक/राज/वाद/2015/ 58 दिनांक 19.3.15 के द्वारा तहसीलदार पचपदरा से रिपोर्ट तलब की गई ।

तहसीलदार पचपदरा से रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार पचपदरा ने जरिये पत्र के आदेश क्रमांक/ राजस्व/2014/ 334 दिनांक 08.04.2015 की पालना से जाहिर किया है कि मौजा राजेश्वर नगर के खसरा नंबर 386 रकबा 6.19 बीघा किस्म बारानी अव्वल बिला कब्जा भूमि दर्ज होना बताया, उक्त भूमि में से ग्रामीण सड़क से लगती हुई नजरी नक्शा में मार्क "**ए**" से "**बी**" तक 30 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता का रकबा 1.11 बीघा होना बताया, उक्त प्रस्तावित भूमि आस–पास के खातेदारान् के लिये भी उपयोगी होना बताया गया है। तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज गै0मु0 रास्ता खसरा संख्या 387 मौके पर उपलब्ध नही होना बताया गया है। तहसीलदार पचपदरा ने प्रस्तावित भूमि रास्ते के लिये उपयुक्त होना बता कर भूमि आवाप्ति किया जाना उचित बताया है, एवं प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 44,880/– रूपये प्रति बीघा होना बताया है।

प्रार्थी वकील एवं सरकारी पैरोकार के वकील उपस्थित । हमने दोनों पक्षों की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

न्यायालय के प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2069–72 मौजा राजेश्वर नगर के खेत खंसरा नबंर 393/385 रकबा 8.00 बीघा का अवलोकन किया गया उक्त खसरा भूमि में श्रीमती अचरजकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है। वर्तमान में नामान्तरकरण सं0 93 दिनांक 5.11.2014 बेचान दस्तावेज के अनुसार सम्पर्ण खातें में राजकुमार पुत्र श्री

6/5/15
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Scanned by CamScanner

मुरलीधर कौम ब्राह्मण साकिन शिव शक्ति नगर गली न0 4 महा मन्दिर जोधपुर खातेदार दर्ज है।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबदी की सत्यप्रति सवंत 2069 से 2072 सरहद ग्राम राजेश्वर नगर के खेत खसरा 386, रकबा 6.19बीघा, का अवलोकन किया गया उक्त खसरों की भूमि में 6 वर्ष पर ली(जुताई हेतु) दर्ज है।

न्यायालय के प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070–73 मौजा कानावास के खेत खंसरा नबंर 15/7 रकबा 17.00 बीघा का अवलोकन किया गया उक्त खसरा भूमि में श्रीमती अचरजकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह के नाम दर्ज है। वर्तमान में नामान्तरकरण सं0 55 दिनांक 20.11.2014 बेचान दस्तावेज के अनुसार सम्पर्ण खातें में राजकुमार पुत्र श्री मुरलीधर कौम ब्राह्मण साकिन शिव शक्ति नगर गली न0 4 महा मन्दिर जोधपुर खातेदार दर्ज है।

तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिर्पोर्ट का अवलोकन किया गया, व अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजाताओं का अवलोकन से यह जाहिर होता है, कि मौजा राजेश्वर नगर के खसरा नंबर 386 रकबा 6.19 बीघा किस्म बारानी अव्वल बिला कब्जा भूमि दर्ज है, उक्त प्रस्तावित भूमि में यदि प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तों आस–पास के खातेदारान् के लिये भी उपयोगी होना प्रतीत हेाता है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज गै0मु0 रास्ता खसरा संख्या 387 मौके पर उपलब्ध नही होने से खसरा सं0 386 में रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त भूमि में से तहसीलदार पचपदरा ने रास्ते के लिये उपयुक्त होना बता कर भूमि आवाप्ति किया जाना उचित बताया है, एवं प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 44,880/– रूपये प्रति बीघा होना बताया है।

अनवान प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा चाहे गये व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते की कुल भूमि 1.11 बीघा खसरा नंबर 386 मे से नया रास्ता हेतु राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी से नजरी नक्शा अनुसार मार्क बिन्दु "**ए**" से "**बी**" से रास्ता हेतु उपयोग लेने की स्वीकृति देना उचित है। इस पर 1.11 बीघा भूमि का मुआवजा धारा 251 ए आरटीए के तहत नये नियमो के अनुसार डीएलसी रेट का दुगना देने का प्रावधान होने से प्रतिबीधा डीएलसी रेट 44,880/– रूपया का दुगना के हिसाब से 1,39,128/– रूपये अक्षरे रूपये एक लाख उन्चालीस हजार एक सौ अट्ठाईस रूपये मात्र बनते है। जो प्राथी से वसूल कर विप्रार्थी खातेदार खसरा नंबर 386 भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा को दिलाया जाना उचित है। रास्ते की भूमि 386 मे से 1.11 बीघा भूमि नजरी नक्शानुसार राजस्व रेकार्ड मे भूमि रास्ते के उपयोग हेतु तरमीम के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पचपदरा नजरी नक्शा अनुसार व आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद करे प्रार्थी मुआवजा की राशि रूपये 1,39,128/– रूपये अक्षरे रूपये एक लाख उन्चालीस हजार एक सौ अट्ठाईस रूपये मात्र विप्रार्थी द्वारा भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा को अदा करने हेतु जरिये चालान राजकोष में जमा करवाया जावें। रास्ते की भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में ली जावेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.6.13 की पालना में आदेश जारी किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम राजेश्वर नगर मे खसरा नंबर 386 मे नजरी नक्शा अनुसार मार्क बिन्दु "**ए**" से "**बी**" मे 30 फीट चौडाई का नया रास्ता घोषित किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

6/5/15

(उदयभानू चारण)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Scanned by CamScanner